उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 8950/18 दिनांक 5/10/18

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
डा0 विजय कालेज ऑफ नर्सिंग एण्ड मेडिकल,
भन्दहाँ कलाँ, कैथी,
वाराणसी—221116

विषय—संस्था द्वारा संचालित जी0एन0एम0 एवं ए0एन0एम0 प्रशिक्षणों में वर्तमान सत्र् 2018—19 के प्रवेश पर रोक लगाने के संबंध में।

महोदय,

आपके संस्थान में वर्तमान में उ0प्र0 शासन / उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा मान्यता / सम्बद्धता प्राप्त पूर्व से चलाये जा रहे नर्सिंग प्रशिक्षण यथा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी एवं हेल्थ वर्कर (महिला) के वर्तमान सत्र् हेतु प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जा रही है।

दिनॉक 25.09.2018 को प्राप्त उच्च स्तरीय निर्देशों के क्रम में आपके संस्थान द्वारा शासनादेश दिनॉक 14.10.2005 के उल्लंघन स्वरूप फर्जी व जाली बैंक गारन्टी दिये जाने के संबंध में आपके विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए इस वर्ष आवेदित समस्त पाठ्यक्रमों को निरस्त करते हुए जमा किये गये शुल्क की जब्ती के आदेश प्राप्त हुये थे तथा दिनॉक 05.10.2018 के क्रम में तत्काल प्रभाव से आपके प्रशिक्षण केन्द्र को वर्तमान सत्र् के प्रवेश हेतु रोक लगाने के निर्देश प्राप्त हुये है।

कृपया उपरोक्तानुसार नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण सत्र् 2018—19 में प्रवेश न ले, यदि आपके संस्थान द्वारा किसी प्रशिक्षणार्थी का प्रवेश नर्सिंग प्रशिक्षण (जी0एन0एम0 एवं ए0एन0एम0) में लिया जाता है, तो उन छात्रों की परीक्षा इस कार्यालय द्वारा किसी भी स्थिति में सम्पन्न नहीं करायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान का होगा।

भवदीय,

5/x/18

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।